न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O). सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

(प्र)करण संख्या :– 06/2021

प्रार्थी:–

मालमसिंह पुत्र स्व. श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तेलवाडा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28/06/21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम तेलवाडा पटवार हल्का भागवा में खसरा संख्या 312,313,323,324,325,326 व 508 रकबा 0.3723,0.8013,1.8211,0.7770,0.6718,0.6394 व 0.2509 हैक्टयर भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा बनता है। प्रार्थी के पिता उदयसिंह पुत्र मूलसिंह के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय घर पर बोलें जाने वाले नाम के आधार पर प्रार्थी का नाम मालसिंह पुत्र उदयसिंह अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मालमसिंह पुत्र उदयसिंह है खातेदारी कृषि भूमि में गलत इन्द्राज होने से कई परेशानियों का सामना करना पडता है। प्रार्थी का समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,राशनकार्ड,भामशाह कार्ड,बैंक खाता,जन आधार व पासपोर्ट दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम मालसिंह पुत्र उदयसिंह दर्ज है फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से घर पर बोले जाने वाले नाम के कारण मालसिंह दर्ज कर दिया । अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट प्राप्त ।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत भागवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर मालसिंह पुत्र उदयसिंह के स्थान पर मालमसिंह पुत्र उदयसिंह किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,राशनकार्ड,भामशाह कार्ड,बैंक खाता व स्कूली दसतावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम मालमसिंह पुत्र उदयसिंह अंकित है । इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भागवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि मालसिंह व मालमसिंह पुत्र उदयसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न पटवारी हल्का भागवा द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में मालसिंह अंकित है जबकि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मालमसिंह दर्ज है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत भागवा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण व तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के सलंग्न पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम मालसिंह पुत्र उदयसिंह के स्थान पर मालमसिंह पुत्र उदयसिंह किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम तेलवाडा पटवार हल्का भागवा में खसरा संख्या 312,313,323,324,325,326 व 508 रकबा 0.3723, 0.8013,1.8211,0.7770,0.6718,0.6394 व 0.2509 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "मालसिंह पुत्र उदयसिंह" के स्थान पर "मालमसिंह पुत्र उदयसिंह " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 28/06/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:41 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना